

अंतिम डिग्रि मुकद्दमा इब्दाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी
व अलजाम श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

श्री भारतीय शिक्षा प्रसार समिति जरिये अध्यक्ष डॉ० रतनलाल मिश्रा उम्र 68 वर्ष क
पुत्र स्व० पुर्णानंद मिश्रा जाति ब्राहमण निवासी शास्त्री नगर, सीकर जिला सी
द्वारा मुख्यतयारआम श्री उमेश कुमार शर्मा आयु 38 पुत्र नवल किशोर जाति ब्राह
निवासी रामगढ शेखावाटी हाल प्रधानाचार्य सेठ गोरीशंकर सिंघानियां उच्च प्राथ
आदर्श विद्या मन्दिर कस्बा रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज०।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व० चुन्नीलाल
2. जगदीश पुत्र स्व० चुन्नीलाल
सत्यनारायण पुत्र स्व० चुन्नीलाल
4. हरीप्रसाद पुत्र स्व० चुन्नीलाल
5. भंवरी देवी पत्नी स्व० चुन्नीलाल समस्त जाति माली निवासीगण गोपलाणा जोह
रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
6. हरीओम जिन्दल पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन अग्रवाल निवासी एफ. 2/1
सेक्टर-16 रोहिणी दिल्ली-85।
7. श्रीमती गिन्नीदेवी पत्नी स्व० बजरंगलाल गोड जाति माली निवासी वार्ड नं.
रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
8. आनन्द पुत्र सत्यनारायण।
9. विनोद पुत्र सत्यनारायण।
10. सावित्री देवी पत्नी सत्यनारायण।
11. सोनिया पुत्री सत्यनारायण समस्त जाति माली निवासी कस्बा रामगढ शेखावा
जिला सीकर।
12. तहसीलदार रामगढ-शेखावाटी।
13. हलका पटवारी रामगढ-शेखावाटी।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा

मुकद्दमा नम्बर - 43/18 सन् 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.) व
हाजरी वादी अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रवीण गोस्वामि
मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्रि दी जाती है कि वाद वार्द
स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी कस्बा रामगढ शेखावाटी की तन में अवस्थित भूमि
खसरा नंबर 1377 (पुराना खं. नं. 773) रकबा 1.24 है० में से 0.0401 है० एवं भूमि खसरा
नंबर 1381, 1382 व 1383 (पुराना खं.न. 777) कुल रकबा 1.80 है० में से 0.2609 है० अर्थात्
कुल रकबा 0.301 है० का खातेदार काश्तकार वादी श्री भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, जरिये

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

निवेदिX..... मुबलिकX..... बाबत X
 इस मुकदमें का मय सूद वगेरह X फीसदी सालाना आज की
 वसूलिया वित्तक X को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2019 सन् 2019 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त
 ओहदा उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ शेखावाटी (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00.00	00
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा	10.00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	13.00	00	मुतफरिक		
मीशान			मीजान	01.00	00

नोट:- इसी खर्चा फार्न पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना